जनसत्ता

मनमानी का खनन

नदियों से अतार्किक ढंग से रेत निकालने की वजह से अनेक जगहों पर पर्यावरण को गंभीर खतरा पहुंचा है। इसलिए राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी एनजीटी ने मनमनाने तरीके से रेत खनन पर प्रतिबंध लगा दिया था। मगर रेत के धंधे में बेपनाह कमाई होने की वजह से रसूखदार ठेकेदार मंत्रियों-अधिकारियों से साठगांठ कर अवैध खनन का कोई न कोई रास्ता निकालते रहे हैं। इस मामले में उत्तर प्रदेश कुछ अधिक बदनाम रहा है। वहां के कुछ पूर्व अधिकारियों और मंत्रियों के घरों-दफ्तरों आदि पर पड़े सीबीआई के छापों से एक बार फिर इस बात की पुष्टि हुई है। यहां तक कि पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पर भी सीबीआई की नजर है। सीबीआई ने माना है कि इस मामले में अखिलेश यादव की संलिप्तता हो सकती है, क्योंकि खनन विभाग की जिम्मेदारी उन्होंने खुद संभाल रखी थी। खनन विभाग के तत्कालीन आला अधिकारी के घरों और दूसरे ठिकानों से प्राप्त दस्तावेजों से ऐसे संकेत मिले हैं। इसके अलावा अखिलेश सरकार में रहे तीन मंत्रियों और उनके निजी सचिवों के खिलाफ भी पुख्ता सबूत मिले हैं। तीन मंत्रियों के निजी सचिवों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

चूंकि भवन निर्माण में बड़े पैमाने पर रेत की जरूरत पड़ती है, इसका कारोबार करने वाले भारी मुनाफा कमाते हैं। इसलिए नदियों से रेत निकालने का पट्टा हासिल करने के लिए ठेकेदारों में होड़ लगी रहती है। उत्तर प्रदेश और बिहार में चूंकि रेत वाली नदियों का फैलाव अधिक है, वहां अक्सर रेत खनन के लिए ठेकेदारों के बीच खूनी संघर्ष तक देखे जा चुके हैं। खनन विभाग संभाल रहे मंत्री, अधिकारी और दूसरे राजनेता अपने करीबी लोगों को रेत खनन के ठेके दिलाने का प्रयास करते हैं। उत्तर प्रदेश में भी यही हुआ। एनजीटी की रोक के बाद रेत का कारोबार ठप्प पड़ गया तो ठेकेदारों ने राजनीतिक संपर्क से अवैध खनन शुरू किया। कायदे से रेत खनन के लिए ई-टेंडर के जरिए पट्टा दिया जाना था, पर मंत्रियों-अधिकारियों से मिलीभगत कर बहुत सारे ठेकेदारों ने अपना कारोबार जारी रखा। जाहिर है, इस तरह जब कोई धंधा राजनीतिक शह पर चलता है, तो मुनाफे का कुछ हिस्सा सत्ता पक्ष के लोगों तक भी पहुंचता है। छिपी बात नहीं है कि जिस दौरान अवैध खनन चल रहा था, उसे रोकने का प्रयास करने वाले कई अधिकारियों को अपनी जान तक से हाथ धोना पड़ा था। कई अधिकारियों के तबादले कर दिए गए थे, जिसे लेकर तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार को काफी किरकिरी झेलनी पड़ी थी।

सीबीआई के ताजा छापों को कुछ लोग राजनीतिक नजरिए से देख सकते हैं, पर हकीकत यह है कि अवैध रेत खनन के मामले पर इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सीबीआई जांच का आदेश दिया था। उसी तहत चली जांचों में मंत्रियों-अधिकारियों की संलिप्तता उजागर हुई है। इसलिए इस मामले को राजनीतिक रंग देने के बजाय पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से देखने की जरूरत है। यह तथ्य उजागर है कि मनमाने ढंग से खनन के चलते उत्तर प्रदेश की कई नदियों के पाट बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस तरह बरसात के समय उनकी दिशा अक्सर बदल जाया करती है, वे अपने तटबंध तोड़ कर खेतों, गांवों, वन क्षेत्रों आदि को तबाह कर दिया करती हैं। फिर नदियों का रेत सार्वजनिक संपत्ति है, उसका मनमाने ढंग से व्यापार करने की किसी को इजाजत नहीं दी जा सकती। मगर विचित्र है कि प्रशासन और सरकारें अपने स्वार्थ के चलते इस तकाजे को नजरअंदाज कर देती हैं।

सर्दी का सितम

उत्तर भारत इन दिनों ठंड की चपेट में है। कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड आदि पहाड़ी राज्यों में बर्फबारी से जनजीवन ठप-सा है। मैदानी इलाकों में भी कई जगह पारा शून्य से नीचे चल रहा है। हिमाचल में सक्रिय हुई पश्चिमी हवाओं से शीतलहर चल रही है। राज्य के कुछ मैदानी इलाकों का तापमान तो शिमला से भी कम बना हुआ है। कोहरे की मार अलग पड़ रही है। यही स्थिति उत्तराखंड की है। ऊंचाई वाले इलाके बर्फ की चादर में लिपटे हुए हैं। कड़ाके की ठंड लोगों का जीना मुश्किल कर देती है। इसका असर हर तरफ देखने को मिल रहा है। घने कोहरे की वजह से ट्रेनें औसतन दस से बीस घंटे देरी से चल रही हैं, विमान सेवाएं भी सुचारु नहीं हैं। सड़कों पर यातायात ठहरा-सा है। कई जगह घने कोहरे की वजह से सड़क हादसों की खबरे आई हैं, जिनमें कइयों को जान से हाथ धोना पड़ा तो कई जख्मी भी हुए। कड़ाके की ठंड में मरीजों खासकर बुजुर्गों और बच्चों की हालत बिगड़ती है और अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगती है। इन सबसे तो लगता है कि सर्दी का मौसम आनंद की बजाय कष्टप्रद ज्यादा होता जा रहा है।

ऐसा हर साल देखने को मिलता है। सर्द हवाएं, बर्फबारी, बारिश, इनसे होने वाली मुश्किलें और नुकसान कोई नई बात नहीं हैं। नई बात यह है कि पिछले कुछ सालों में ठंड की अवधि और तीव्रता दोनों में बदलाव आया है। इसका असर यह हुआ है कि हर साल सर्दी किसी न किसी रूप में पिछले रेकार्ड तोड़ रही है। करीब तीन दशक पहले तक तो सर्दी की अवधि औसतन चार या पांच महीने रहती थी। अक्तूबर से गुलाबी सर्दी का असर होने लगता था और दिसंबर-जनवरी में तो हांड़ कंपा देने वाली हवाएं चलती थीं और होली आने तक ठंड अपनी मौजूदगी बनाए रखती थी। पर अब यह चक्र बदल रहा है। इसी से मौसम का मिजाज भी बदला है। दिसंबर का महीना भी कड़ाके की ठंड का अहसास नहीं कराता, अक्तूबर और नवंबर के महीने में तो पंखे चलते हैं। इसी तरह पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी का समय भी बदल रहा है। और मौसम के बदलते चक्र से भारत ही नहीं, पूरी दुनिया प्रभावित हो रही है। इसका बड़ा और एकमात्र कारण जलवायु संकट है। तो ऐसे में सर्दी को क्यों दोष दिया जाए?

सर्दी तो हर साल आती रही है, आती रहेगी और अपना असर दिखाएगी। इससे क्यों परेशान होना! सवाल सर्दी के मौसम में होने वाली उन समस्याओं को लेकर है जिनका हम हर साल सामना करते हैं। लेकिन अगली बार वैसी मुश्किलों का सामना न करना पड़े, इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाते। कहने को सर्दी का मौसम हर लिहाज से अच्छा माना जाता है। लोग बर्फबारी का मजा लेने पहाड़ी पर्यटन स्थलों की यात्रा करते हैं। हालांकि दिल्ली जैसे शहर जो गंभीर प्रदूषण की मार झेल रहे हैं, उनके लिए सर्दी ज्यादा कष्टप्रद साबित हो रही है। और इसलिए नहीं कि तापमान शून्य के आसपास रहेगा, या कोहरा पड़ेगा, बल्कि इसलिए कि हवा जहरीला हो चुकी है लोग सांस नहीं ले पा रहे। इसी कड़ाके की ठंड में बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर सोने को मजबूर हैं, जिन्हें सरकारी रैनबसेरों तक में जगह नहीं मिलती, खाना तो दूर। सर्दी जनित बीमारियां गरीब लोग इसलिए नहीं झेल पाते कि उनके पास अस्पताल जाने तक के भी पैसे नहीं होते। ऐसे में गरीब को सर्दी मारती है।

कल्पमेधा

गहरी नदी में जल का प्रवाह
बेहद शांत और गंभीर
होता है।
- शेक्सपियर

ग्रामीण विकास और समग्रता

भारत डोगरा

ग्रामीण विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे जरूरी है पंचायतों को मजबूत करना। इसके लिए पंचायतों को अधिक संसाधन मिलने चाहिए। पंचायत चुनावों से गांव में गुटबाजी व दुश्मनी न आए, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। न्याय के लिए कोर्ट-कचहरी में भटकने के स्थान पर निशुल्क न्याय पंचायत स्तर पर हो सके, इस दिशा में बढ़ना चाहिए। ग्राम सभा और वार्ड सभा को सशक्त बनाना होगा।

विभिन्न सरकारी विभाग अपने-अपने स्तर पर ग्रामीण विकास के विभिन्न पक्षों पर कार्यरत हैं। ये कार्य प्रायः लक्ष्य-निर्धारित होते हैं और यथासंभव प्रयास होते हैं कि घोषित लक्ष्य की प्राप्ति सरकारी फाइल में सफलता के रूप में दर्ज होती रहे। पर मौजूदा व्यवस्था में इस बारे में अधिक चर्चा नहीं है कि क्या कार्यक्रमों की दिशा सही है और क्या विभिन्न कार्यक्रम आपसी समन्वय में एक-दूसरे के पूरक हैं, एक-दूसरे के साथ मिल कर ग्रामीण विकास को समग्र रूप देते हैं। दूसरी ओर जरूरत इस बात की है कि ग्रामीण विकास की दिशा बहुत सोच-समझ कर तैयार की जाए, इस पर व्यापक सहमति बनाई जाए और इसे समग्र रूप में अपनाया जाए। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय आदि सभी पक्षों का एक-दूसरे से समन्वय रखने वाला, एक-दूसरे का पूरक समावेश इस समग्र कार्यक्रम में मिलना चाहिए।

सबसे प्रमुख सहमति का विषय यह होना चाहिए कि राष्ट्रीय विकास के केंद्र में ग्रामीण विकास होगा, गांवों को अति महत्त्वपूर्ण भूमिका मिलेगी। विकास का अर्थ यह नहीं होगा कि अनिवार्य तौर पर गांव को पीछे हटा कर शहर ही आगे बढ़ेंगे, अपितु गांवों व खेती-किसानी के विकास को पूरे विकास में सबसे महत्त्वपूर्ण व बुनियादी भूमिका दी जाएगी। जहां हमारा ग्रामीण विकास पूरी तरह हमारी जरूरतों के अनुकूल होना चाहिए, वहां उसे विश्व की बड़ी पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान के अनुरूप भी होना चाहिए। हम विश्व से अलग नहीं हैं। विश्व में जलवायु बदलाव व अन्य पर्यावरणीय समस्याएं अति गंभीर रूप ले रही हैं और इनका समाधान अति आवश्यक है, अतः हमारा ग्रामीण विकास भी इस समाधान के अनुकूल ही होना चाहिए। इस पर व्यापक सहमति है कि निर्धनता, विषमता व अन्याय दूर करना या न्यूनतम करना दुनिया व पूरे देश का उद्देश्य होना चाहिए, अतः जरूरी है कि ग्रामीण विकास भी इस व्यापक सहमति के उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। इसी तरह की व्यापक सहमति इस बारे में है कि विकास टिकाऊ व सतत होना चाहिए, जो पर्यावरण रक्षा पर समुचित ध्यान देने से ही संभव है। यह आपदाओं की मार को कम करने के लिए भी बहुत जरूरी है। गांवों की आत्म-निर्भरता को बढ़ाना चाहिए।

दीर्घकालीन दृष्टि से देखें तो गांवों में जल-संरक्षण और हरियाली का बना रहना, यह दो सबसे बड़ी जरूरतें हैं। पानी तो विकास का ही नही, अस्तित्व का आधार है। सभी प्राकृतिक जल-स्रोतों की रक्षा होनी चाहिए। भू-जल का उपयोग सुरक्षित सीमा तक ही होना चाहिए। सभी मनुष्यों व पशु-पक्षियों के लिए पर्याप्त जल होना चाहिए। जल के उपयोग में प्राथमिकता पेयजल, घरेलू उपयोग और फिर कृषि को मिलनी चाहिए। फसल-चक्र स्थानीय जल उपलब्धि के अनुकूल होना चाहिए। यथासंभव जल आपूर्ति स्थानीय वर्षा व जल-संरक्षण के आधार पर होनी चाहिए। दूर-दूर से पानी लाने वाली योजनाओं के बारे में तभी सोचा जा सकता है जब सब उपाय करने पर भी स्थानीय स्तर पर जल पर्याप्त न हो। वर्षा के जल को संरक्षित करने का भरपूर प्रयास होना चाहिए। स्थानीय वनस्पति व वृक्षों की प्रजातियों, को बचाना व पनपाना चाहिए। खाद्य, चारे, वन व मिट्टी संरक्षण के स्थानीय वृक्षों को समुचित महत्त्व देना चाहिए। वनों की रक्षा करते हुए और उन्हें पनपाते समय वनों की प्रजातियों के मिश्रण के प्राकृतिक रूप को बनाए रखने या उनसे नजदीकी रखने का प्रयास होना चाहिए।

खेती की तकनीक ऐसी होनी चाहिए जो पर्यावरण की रक्षा के अनुकूल हो, टिकाऊ हो, बहुत सस्ती हो, गांव के स्थानीय संसाधनों पर आधारित हो और बाहरी निर्भरता को न्यूनतम करे। रासायनिक खाद व दवाओं का उपयोग छोड़ना चाहिए या न्यूनतम हो, कंपोस्ट और गोबर-पत्ती आदि की खाद का उपयोग बढ़ाने पर जोर हो। पशुपालन को बढ़ावा दिया जाए। इसके लिए पशुपालक समुदायों की मदद करनी होगी। कृषि व पशुपालन के परंपरागत ज्ञान से भरपूर सीखना होगा। प्रकृति की प्रक्रियाओं से सीखते हुए बेहतर कृषि के तौर-तरीके सीखने चाहिए।

कृषि का आधार छोटे व मझले किसान होते हैं। किसी के पास बहुत अधिक भूमि है तो उससे कुछ भूमि लेकर भूमिहीनों में वितरित की जानी चाहिए। अन्य उपायों से भी भूमिहीन खेत मजदूरों को भूमि दी जानी चाहिए। सबसे निर्धन गांववासियों को ग्रामीण विकास के प्रयासों में उच्चतम प्राथमिकता मिलनी चाहिए और उनकी टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित करने, संसाधन आधार बढ़ाने के प्रयास करने चाहिए। खेती-किसानी बहुत महत्त्वपूर्ण है, पर केवल खेती के आधार पर गांवों में पर्याप्त आजीविका आधार उपलब्ध नहीं हो सकता है। अतः विविधता भरी आजीविकाओं और रोजगारों के लिए अर्थव्यवस्था में ऐसे सुधार करने होंगे जिससे अधिक रोजगारों का सृजन गांव, कस्बे, छोटे शहर के स्तर पर हो और इन रोजगारों में प्रदूषण न्यूनतम रखने के प्रयास आरंभ से हों। इसके लिए परंपरागत दस्तकारियों व हस्तशिल्प व इनसे जुड़े दस्तकारों को बढ़ावा देना होगा।

ग्रामीण विकास का लक्ष्य हासिल करने के लिए सबसे जरूरी है पंचायतों को मजबूत करना। इसके लिए पंचायतों को अधिक संसाधन मिलने चाहिए। पंचायत चुनावों से गांव में गुटबाजी व दुश्मनी न आए, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। न्याय के लिए कोर्ट-कचहरी में भटकने के स्थान पर निशुल्क न्याय पंचायत स्तर पर हो सके, इस दिशा में बढ़ना चाहिए। ग्राम सभा और वार्ड सभा को सशक्त बनाना होगा। विस्थापन या गांव के भविष्य से जुड़े किसी बड़े फैसले पर ग्राम-सभा के निर्णय को उच्च महत्त्व मिलना चाहिए। विस्थापन की संभावना न्यूनतम करनी चाहिए। फिर भी मजदूरी में किसी को विस्थापित होना पड़े तो उससे पूरा न्याय होना चाहिए। गांव में पुरुषों व महिलाओं (विशेषकर महिलाओं) के स्वयं सहायता समूहों का गठन होना चाहिए। उनके माध्यम से बचत को हर तरह से प्रोत्साहित किया जा सकता है। धीरे-धीरे स्वयं सहायता समूहों की क्षमता इतनी बढ़नी चाहिए कि कर्ज की अधिकतम जरूरतें इनसे पूरी हो सकें।

महिलाओं की भागीदारी के बिना ग्रामीण विकास की कल्पना अधूरी है। महिलाओं को विभिन्न क्षेत्रों में आगे आने के भरपूर अवसर देने की जरूरत है और उन्हें इसके लिए पूर्ण सुरक्षा की स्थिति मुहैया करानी होगी। महिला-विरोधी हिंसा और यौन हिंसा को समाप्त करने या न्यूनतम करने को उच्चतम प्राथमिकता मिलनी चाहिए। महिला किसानों को किसान के रूप में मान्यता मिलनी चाहिए। पति-पत्नी का मिल कर भूमि स्वामित्व होना चाहिए। सभी गांवों में महिलाओं के नेतृत्व में नशा-विरोधी समितियों का गठन होना चाहिए और शराब सहित हर तरह के नशे की न्यूनतम करने के प्रयास निरंतरता से होने चाहिए। गांवों में शराब के ठेके नहीं खुलने चाहिए व जो पहले से हैं, उन्हें हटाना चाहिए।

शिक्षा की गुणवत्ता ग्रामीण विकास की महत्त्वपूर्ण धुरी है। शिक्षा में नैतिक शिक्षा का समावेश करने, अच्छी शिक्षा सब तक पहुंचाने व सरकारी स्कूलों को बहुत बेहतर करने के प्रयासों को उच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए व इसमें सब का सहयोग प्राप्त होना चाहिए। इसके अलावा पंचायत स्तर पर ही सभी सामान्य स्वास्थ्य समस्याओं के इलाज की क्षमता वाला स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए। बीमारियों व स्वास्थ्य समस्याओं की रोकथाम के प्रयासों को इसे विशेष महत्त्व देना चाहिए। गर्भवती महिलाओं की जांच-सुरक्षा व बच्चों के सुरक्षित जन्म की उत्तम व्यवस्था इन स्वास्थ्य केंद्रों में रहनी चाहिए। इनके संबंध बड़े अस्पतालों में होने चाहिए व इनके पास एंबुलेंस सुविधा भी होनी चाहिए। शाश्वत ऊर्जा स्रोतों की प्रगति का पूर्ण प्रयास होना चाहिए, जबकि डीजल पर निर्भरता कम होनी चाहिए। यदि इस तरह की समग्र ग्रामीण सोच पर व्यापक सहमति प्राप्त कर इसे पूर्ण प्रोत्साहन मिले तो मात्र एक दशक में ही हमारे गांवों की सूरत बदल सकती है।

खाली मकान, सूनी आंखें

कौशलेंद्र प्रपन्न

दुनिया मेरे आगे

मकान खाली थे। खाली तमाम जगहें। कमरे खाली थे। कमरों में बिस्तर लगे थे। बिस्तर पर सामान रखे हुए थे। सामान भी वे, जिन्हें कहीं और जगह नहीं मिली थी। घर इतना बड़ा और कमरे भी बड़े-बड़े, खाली-खाली। कभी इन कमरों में लोग रहते थे। उनमें शामिल थे बेटे, बेटियां। अंतर सिर्फ इतना था कि अब इन कमरों में कोई रहता है तो वे हैं यादें। ताजी और टटकीं। बाबूजी कहते हैं कि वह यहीं इसी कमरे में रहता था। स्कूल से या खेल कर लौटता था तो इसी कमरे में सामान फेंक कर बिस्तर पर लेट जाता था। बेटियां भी रहती थीं। अब ये कमरे खाली हैं। हालांकि वे लोग बुलाने पर भी अब नहीं आते। कहते हैं, आपलोग ही आ जाइए हमारे पास... वहां सुविधा नहीं है... कैसे रहेगी आपकी बहू! कैसे रहेगा आपका पोता। उसे हवा-पानी से भी एलर्जी हो जाती है। बच्चे को धूल से भी तो एलर्जी हो जाती है। सो, तय हुआ अब से पूरी सर्दी आप दोनों हमारे पास आ जाया करिए। गरमी में भाई के पास।

जब कभी जाना हो अपने घर और अपने शहर, तो जरा इन खाली कमरों को जरूर देखने का अवसर निकालिएगा। वहां उन अंधेरे कमरों में भी जाने की कोशिश कीजिएगा, जहां आप कभी उठा-बैठा करते थे। जिन जगहों पर बैठने के लिए आपस में लड़ाई होती थी, उन पर अब चूहों-बिल्लियों की धमा-चौकड़ी दिखेगी। कोई नहीं बैठता अब आपके बैठकखाने में। कोई बैठा मिलेगा तो बस पुरानी यादें। इन्हीं यादों को संजोए बैठे मिलेंगे हमारे मां-बाप, जो तमाम कमरों को बंद कर एक-दो कमरों में सिमट कर रह गए हैं। क्या करेंगे सारे कमरे खोल कर। कमरे खुलेंगे तो यादें बाहर झांकने लगेंगी। बाहर की हवाओं और धूल से कमरे गंदे होंगे। तब कौन साफ-सफाई करेगा। जहां मां-पिता रहते हैं, उन्हें ही साफ करना उनसे नहीं बनता। बिस्तर पर ही पिछली यात्रा के बैग, सामान पड़े हैं। उन्हें तो रखा नहीं जा सका। खाली कमरों को कौन दुरुस्त करे!

इन सूनी आंखों और खाली कमरों को न तो देखने वाला कोई है और न संभालने वाला। यों ही, कभी जाना हो घर तो देख सकते हैं कि छत भी जगह-जगह से पलस्तर छोड़ रहे हैं। जिन पंखों के नीचे पूरा घर सोने के लिए मारा-मारी करता था, अब भी बंद पड़े हैं। मां-पिता से पूछ लिया कि यह क्यों बंद है... लालटेन क्यों खराब है... या फिर बिजली का मीटर ठीक क्यों नहीं है... तो जवाब मिलेगा, अब हमसे नहीं बनता। उम्र सत्तर-अस्सी पार है। अपने लिए खाना-पानी, दवा सेवा करें कि इन्हें देखें। कौन सुनेगा? कोई नहीं सुनता। कई बार बिजली ऑफिस, बैंक का चक्कर काट आए हैं, मगर रोज नया बहाना बना देते हैं आज के मैनेजर। तुम्हारे पिता की स्मृतियां भी तो ऐसी ही हो चली हैं! इन्हें संभालें कि खाली घरों को! पैसे लेकर जाते हैं बाजार, और पैसे कहां किसे दे आते हैं या गिरा देते हैं! पूछो कि सामान कहां है तो बच्चों-सा मुंह बना लेते हैं। लगता है, पैसे तो दिए थे, लेकिन सामान वहीं छूट गया शायद! कहते-कहते मां की बेबसी छलकने लगती है।

तुम लोगों के पास वक्त कहां है! कोई भी तो नहीं आता। मोहल्ले वाले, आस-पड़ोस वाले, नाते रिश्तेदार... सबके सब पूछते हैं कि फलां को तो आए जमाना हो गया। बेटी भी पिछले कई सालों से नहीं आई। कोई नहीं आने वाला। इतना पढ़ाया ही क्यों इन्हें? नहीं पढ़ाते तो कम से कम आपके पास रहते... आदि। ऐसे तर्कों, कुतर्कों से मां-पिता के कान पक चुके हैं। वे भी कई मर्तबा अपने आपको समझा चुके हैं कि बच्चे व्यस्त हैं। सबके सब अपने ऑफिस और बच्चे में उलझे हुए हैं। लेकिन कभी तो कान में इन बातों का असर तो पड़ता ही है!

खाली कमरों, सूनी आंखों की संख्या लंबी है। हर शहर, हर कस्बे में ऐसी कहानी आम मिलेगी। शहर छोटा हो या बड़ा। लेकिन बच्चों का विस्थापन बतौर जारी है। शहर और कस्बे इस विस्थापन से गुजर रहे हैं। शहरों में विकास और निर्माण कार्य देखे जा सकते हैं। पुरानी दुकानें, घर तोड़ कर पुनर्नवा किया जा रहा है। इन्हीं बनते, टूटते शहर में कुछ कमरे अभी भी हैं, जहां कोई रहने नहीं आता। कोई इनका हाल जानने नहीं आता। अगर किसी दिन मां-बाप में से कोई भी एक गया, फिर बच्चे भागे-भागे आएंगे। यह मेरा कमरा, वहां तेरा कमरा। घर को दो फांक किया जाए। और औने-पौने दामों में घर को बेचने का सिलसिला निकल पड़ता है।

याद आता है कभी पड़ोस के चाचा ने अपना घर बेचा। बेच कर सारी रकम बेटे को सौंप दी। अब आलम यह है कि बीच में कुछ कहानियां बनीं और वापस उसी शहर में आना हुआ। लोगों ने देखा। बातें बनाईं और कहानी फिर चल पड़ी। यह एक ऐसी कहानी थी, जिसे सुन कर आंखों में किसी को भी लोर (आंसू) भर आए। लेकिन क्या करें, जब होनी को होनी थी और हुई भी। उम्र नब्बे साल। पत्नी की उम्र अस्सी साल। अब दोनों उसी शहर में किराए पर रहते हैं।

ठोस विकल्प के लिए

एक बहुत अच्छी कहावत है कि नेता हमेशा अगला चुनाव के बारे में सोचता है, मगर एक देशभक्त राजनेता हमेशा अगली पीढ़ी के बारे में सोचता है। दरअसल यह कहावत आने वाले वक्त में देश की जरूरत बनने वाली है। विपक्षी दलों को चुनावी साल का इंतजार रहता है। देश की राजनीति धीरे-धीरे खुद को आम चुनाव के लिए तैयार करने में जुट गई हैं। दरअसल चुनाव हमेशा विकल्प का खेल होता है जिसमें जिस राजनीतिक पार्टी का ज्यादा बेहतर विकल्प जनता को बेहतर लगता है जनता भी उसी को चुनाव में जिताती है। मगर कभी-कभी ज्यादा विकल्प जनता के लिए मुसीबत का सबब बन जाते हैं।

जैसा कि मौजूदा वक्त में देश की राजनीति में दिखाई दे रहा है, जहां एनडीए और यूपीए गठबंधन के अलावा तीसरा महागठबंधन भी खुद को जनता का प्रतिनिधि बनने को तैयारी में है। इस तीसरे खेमे का प्रतिनिधित्व करने का काम दूसरी बार तेलंगाना से जीतने वाले मुख्यमंत्री केसीआर कर रहे हैं। ऐसे में तो लग रहा है कि मौजूदा राजनीति सन 1996-98 में पहुंचने वाली है जब जनता ने क्षेत्रीय पार्टियों के गठबंधन वाली सरकार को देश चलाने का मौका दिया था। आजादी के बाद से लेकर अभी तक हमारे देश की राजनीति का इतिहास रहा है कि कभी भी क्षेत्रीय दलों के महागठबंधन की बनी सरकार ज्यादा दिनों तक दिल्ली की गद्दी पर काबिज नहीं हो पाई। मौजूदा राजनीति में तीसरा मोर्चा कितना सफल हो पाएगा, यह तो आने वाले वक्त में ही पता चलेगा, मगर सबसे ज्यादा जरूरी है कि विपक्ष अपने एजेंडे को जनता के सामने रखे ताकि जनता को लगे कि विपक्षी दल सिर्फ मौजूदा सरकार को हटाने का नहीं, बल्कि देश के भविष्य को लेकर भी सोच रही है।

● *पीयूष कुमार, नई दिल्ली*

भारत के लिए खतरा

जब से अमेरिका ने पाकिस्तान से दूरी बनाई है तब से इस्लामाबाद और बेजिंग की दूरियां कम हो रही हैं। इस साल के पहले ही दिन चीनी अखबार ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि चीन अपने दोस्त पाकिस्तान के लिए अति उन्नत युद्धपोत का निर्माण कर रहा है, इससे भारत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। रणनीतिक रूप से महत्त्वपूर्ण हिंद महासागर में शक्ति संतुलन सुनिश्चित करने के लिए दोनों देशों के बीच एक बड़ा द्विपक्षीय हथियार समझौता हुआ था और पाकिस्तान ने इस तरह के चार अत्याधुनिक युद्धपोत चीन से खरीदने की घोषणा की थी। मौजूदा पोत इन्हीं में से एक है। चीन पाकिस्तान को हथियारों की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा देश है। असल में अमेरिका ने साफ कर दिया है कि पाकिस्तान की जमीन पर जब तक आतंकियों को पनाह मिलती रहेगी तब तक उसे आर्थिक सहायता नहीं दी जाएगी। इसके बाद पाकिस्तान और चीन की नजदीकियां लगातार बढ़ रही हैं। पाकिस्तान रूस, चीन और इटली से बड़े टैंक और तोप खरीदने की तैयारी में है। वास्तव में चीन ने पाकिस्तान से अमेरिका की दूरी को अपने लिए एक बेहतर अवसर के रूप में लिया है और इसके लिए वह पाकिस्तान की हर तरह से मदद के लिए तैयार है। लेकिन इसका खामियाजा केवल पाकिस्तान को ही नहीं, बल्कि इस पूरे क्षेत्र को उठाना होगा। बेहतर हो कि वह हथियार खरीदने के बजाय अमन और शांति की राह पर आगे बढ़े।

● *अमन सिंह, बरेली*

सबरीमाला में प्रवेश

केरल के सबरीमाला मंदिर में सुप्रीम कोर्ट द्वारा महिलाओं के प्रवेश को मंजूरी देने के बाद गुजरे बुधवार को आठ सौ साल में पहली बार दो महिलाओं ने मंदिर में प्रवेश किया। यह दिन भारतवर्ष की सभी महिलाओं के लिए एक ऐतिहासिक और यादगार दिन से कम नहीं होगा, क्योंकि सदियों से चली आ रही रूढ़िवादी प्रथा को तोड़ते हुए दोनों महिलाओं ने अपने हक और समानता की लड़ाई के लिए कड़े विरोध के बीच अपनी जान की परवाह न करते हुए मंदिर में प्रवेश किया और जीत हासिल की। हालांकि महिलाओं के प्रवेश की जानकारी के बाद मंदिर प्रशासन द्वारा मंदिर का शुद्धीकरण करवाना और लोगों द्वारा तोड़फोड़ करने से यह भी साफ हो गया कि आज भी भारतीय समाज रूढ़िवादी और लिंगभेद की सोच से कितना भरा पड़ा है। लेकिन महिलाओं की निडरता और जागरूकता ही उनके प्रवेश का कारण बनी है। इससे एक दिन पहले मंगलवार को लाखों महिलाओं का लिंग भेद के प्रति छह सौ बीस किलोमीटर की यात्रा निकलना इस बात का सबूत है कि महिलाएं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगी हैं।

● *अखिल सिंघल, नई दिल्ली*

अपराधियों का आतंक

आपके समाचार पत्र में एक जनवरी को प्रकाशित संपादकीय पढ़ा। उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के गोपीगंज में एक गरीब और कमजोर तबके की महिला के साथ वहां के कुछ गुंडों ने पहले छेड़खानी की, और फिर महिला के विरोध करने पर उसके घर पर हमला कर दिया, उसे खूब पीटा, और फिर उसके कपड़े फाड़ कर पूरे गांव में घुमाया। सबसे दुखद और विस्मित करने वाली बात इसमें यह है कि उस पूरे क्षेत्र में उस महिला के पक्ष में कोई खड़ा नहीं हुआ। किसी ने हिम्मत नहीं दिखाई बदमाशों का विरोध करने की! भारतीय गांवों में यह आम बात होती है, कमोबेश कस्बों और शहरों में भी यही स्थिति होती है। हर जगह स्थानीय गुंडों, भूमाफियाओं,पुलिस के दलालों आदि के समूह संगठित होकर 'कुछ' भी करते रहते हैं, और पढ़ा-लिखा समाज भी डरा हुआ-सा इन असामाजिक तत्वों के कुकृत्य को देखता रहने को बाध्य है।

गोपीगंज की यह दुखद घटना पुलिस और कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। गोपीगंज पुलिस ने इस अमानवीय और मनुष्यता को शर्मसार करने वाली घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के बजाय मामले को रफा-दफा करने की कोशिश की। हकीकत यह है कि भारतीय समाज की जातिवादी व्यवस्था में ऐसे जितने कुकृत्य होते हैं, वे निश्चित रूप से कमजोर, पिछड़ी और दलित जाति की लड़कियों और महिलाओं के साथ स्थानीय दबंग जातियों के लोग करते हैं, जिनका उस क्षेत्र के पुलिस थानों, प्रशासन और पूरे क्षेत्र पर पूरी तरह दबदबा रहता है।

● *निर्मल कुमार शर्मा ,गाजियाबाद*

चौपाल

किसी भी मुद्दे या लेख पर अपनी राय हमें भेजें। हमारा पता है : ए-8, सेक्टर-7, नोएडा 201301, जिला : गौतमबुद्धनगर, उत्तर प्रदेश

आप चाहें तो अपनी बात ईमेल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। आइडी है : chaupal.jansatta@expressindia.com